

- यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उम्मीदवार अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

- उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
- पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे चाहें।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी):

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

- उम्मीदवार को रे.भ.बो. की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) (जैसा लागू हो) और दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। चयन उपरोक्त भर्ती चरणों के आधार पर, योग्यता के अनुसार किया जाएगा।
- सभी गतिविधियों जैसे सीबीटी, सीबीटीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या अन्य कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, की तिथि, समय और स्थान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को यथासमय सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :-

उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इसे

परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन चालू या बंद मोड में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्यवाई के अलावा उसे रे.भ.बो. परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएं, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक/अभ्यास परीक्षण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

13.1 प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) - इस सीईएन 07/2025 के सभी अधिसूचित पदों के लिए सामान्य

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	40	30	30	100

जो उम्मीदवार स्क्रीन का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए परीक्षा का समय 120 मिनट होगा।

उपर्युक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।

प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा स्क्रीनिंग प्रकृति की होगी और सीबीटी के प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार चयन हेतु किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभों का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए केवल ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए ही पात्र माना जाएगा।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुतम समापवर्तक तथा महतम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियों, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2 द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम चरण की सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रथम चरण की सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के लिए अधिसूचित पदों की समुदायवार रिक्तियों का 15 गुना होगी। हालाँकि, रेलवे सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कुल या किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए इस सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.2.1 द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है:

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	50	35	35	120

जो उम्मीदवार स्क्राइब का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए परीक्षा का समय 120 मिनट होगा।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।

प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुतम समापवर्तक तथा महतम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित,

ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

13.2.2 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2.3 जिन पदों में टंकण परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित नहीं है, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के सीबीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिन पदों में टंकण परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित है, उनके लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के सीबीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों एवं कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

13.2.4 अंकों का सामान्यीकरण: जब भी समान पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

13.3 कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी):

वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकण कौशल परीक्षा (टंकण कौशल परीक्षामें प्राप्त अंक मेरिट बनाने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे) आयोजित की जाएगी, टंकण कौशल परीक्षाके लिए प्रत्येक समुदाय के लिए रिक्तियों की संख्या के आठ(8) गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल **पर्सनल कंप्यूटर** पर संपादन उपकरण और वर्तनी जाँच सुविधा के बिना अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी में टंकण कौशल परीक्षा के लिए आने वालों के दिशानिर्देशों के लिए कृति देव और मंगल फॉन्ट को पर्सनल कंप्यूटर पर टंकण कौशल परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टंकण कौशल परीक्षा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो नेत्रहीनता / कम दृष्टि, सेरेब्रल पालसी और लोकोमोटर अक्षमता के कारण स्थायी रूप से अक्षम हैं और 40% से कम स्थायी अक्षमता नहीं है। ऐसे अक्षम पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा, प्रपत्र **अनुलग्नक V(H)**में जारी टंकण कौशल परीक्षा छूट प्रमाणपत्र का स्कैन किया हुआ प्रति टंकण कौशल परीक्षा के आयोजन के पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करनी है। केवल टंकण कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त और टंकण कौशल परीक्षा में छूट प्राप्त पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का द्वितीय चरण की सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।

13.4 अधिसूचित पदों के लिए ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सारांश नीचे सारणीबद्ध है ::

क्रम संख्या.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रथम चरण की सीबीटी	द्वितीय चरण की सीबीटी	कौशल परीक्षण की आवश्यकता
1	वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक	3	समस्त पदों के लिए समान	समस्त पदों के लिए समान	-----
2	लेखा लिपिक सह टंकक	2			कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी)
3	कनिष्ठ लिपिक सह टंकक	2			कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी)
4	ट्रेन लिपिक	2			-----

नोट:- उपरोक्त सभी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

13.5 दस्तावेज सत्यापन और पैनलीकरण:

- दस्तावेज सत्यापन और पैनलीकरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी/सीबीटीएसटी (जैसा लागू हो) में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने की शर्त पर होगी। यूआर/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। यह भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों पर भी उनके समुदाय के अनुसार लागू होती है। यदि PwBD के लिए पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।
- सीबीटी/सीबीटीएसटी (जैसा लागू हो) परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (1:1) के लिए बुलाया जाएगा।
- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात्, बड़े अभ्यर्थी को छोटे अभ्यर्थी की तुलना में उच्च योग्यता दी जाएगी और यदि आयु समान है, तो टाई तोड़ने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को ध्यान में रखा जाएगा।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।
- उम्मीदवारों का पैनल योग्यता के आधार पर होगा और दस्तावेज सत्यापन के सफल समापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा।
- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन/रे.भ.बो. द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रे.भ.बो. योग्य उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार, योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन, रेल जोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार पैनल में शामिल कर लिया जाता है, तो वे अगले प्राथमिकता वाले जोन/यूनिट में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देंगे। हालाँकि, रे.भ.बो. प्रशासनिक हित में, उम्मीदवारों द्वारा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, उम्मीदवार द्वारा चुने गए/न चुने गए रेल जोन/यूनिट आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- कृपया उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि रेल भर्ती बोर्ड केवल संबंधित रेल प्रशासन पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है।
- पैनल में किसी भी कमी या अन्य अनिवार्यताओं की स्थिति में, रे.भ.बो. को आवश्यकता पड़ने पर, योग्यता सूची में नीचे के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों